Need to cancel the license of seed company distributing substandard maize seed to farmers in Madhya Pradesh - laid

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): इस वर्ष सिवनी जिले सहित मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में किसानों ने तेलंगाना की मक्का बीज उत्पादक एक कंपनी विशेष का मक्का बीज कंपनी द्वारा अधिकृत स्थानीय वितरकों, दुकानदारों से विक्रय किया था, किंतु किसानों को बेचे गये बीज की गुणवत्ता अत्यंत खराब होने के कारण अंकुरण नहीं हो पाया। किसानों का कहना है कि इसकी बोनी के बाद अंकुरण नहीं हुआ, जिस कारण कई किसानों ने दोबारा बोनी करनी पड़ी है। बीज के अंकुरण न होने के कारण किसानों को दोबारा मक्का की बोनी करने से उन्हें बीज के मूल्य सहित खाद, दवाएं एवं दोबारा जुताई करने के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ा एवं किसानों को काफी हानि का सामना करना पड़ा है। किसानों के खेत खाली हैं, विभागीय अधिकारियों के द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के कारण सिवनी जिले के किसानों सहित संपूर्ण प्रदेश के किसान एडवांटा कंपनी के द्वारा बेचे गये मक्का बीज के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इसी से प्रताड़ित होकर सिवनी जिले के किसान ने आत्मदाह तक का प्रयास किया।

ऐसे अमानक, गुणवत्ता हीन बीज का उत्पादन करने वाली इस कंपनी का लाईसेंस तत्काल निरस्त करते हुए किसानों को मय क्षतिपूर्ति के मुआवजा प्रदान करने का कष्ट करें।